न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—299/2015/223 (2015/00281)

1. नन्दलाल पुत्र मोहन,
2. ग्यारसी पत्नि मोहन,
   जाति खारोल, निवासी प्रतापपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मोहन पुत्र जगदीश,
2. रामदेव पुत्र जगदीश,
3. रामसुख पुत्र जगदीश (फौत) जरिये वारिसानः—
   3/1— श्रीमती मकनी बेवा रामसुख, जाति खारोल, निवासी प्रतापपुरा, पोस्ट अजगरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. जीवराज पुत्र मोहन,
5. द्वारका प्रसाद पुत्र मोहन,
6. कमलादेवी पुत्री मोहन,
7. बाली तथाकथित पत्नि मोहन,
   जाति खारोल, निवासी प्रतापपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 17.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 41/2002.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 2, 3/1, 6 व 7 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 8.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 8.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि पक्षकारान की पैतृक सम्पति ग्राम चण्डाली में स्थित आराजी खसरा नंबर 359 व 376/9 कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा है । उक्त आराजी का पूरा रकबा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 मोहनलाल (अपीलांटस के पति व पिता) के नाम दर्ज है जिसमें <u>वादीगण/अपीलांटस</u> का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है व प्रतिवादी /रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता है । ग्राम

प्रतापपुरा में स्थित आरजी खसरा संख्या 67, 191, 194, 195 व 25 कुल किता 5 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 मोहन का 1/3 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में वादीगण/अपीलांटस प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा बनता है । प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से वादीगण/अपीलांटस का भी हक व अधिकार निहित है तथा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है । वादीगण/अपीलांटस का प्रश्नगत भूमि में उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा होने से व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अलग से अंकित करवा बंटवारा कराने के अधिकारी है जिसके बाबत् प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 से कई बार निवेदन किया किन्तु वह हमेशा टालमटोल करता रहा । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 अपने नाम दर्ज आराजी को रहन, बय, मुंतकिल करने पर आमादा है । उक्त समस्त आधारों पर प्रश्नगत भूमि में वादीगण/अपीलांटस का वादपत्र में वर्णित कथनों अनुसार हिस्सा घोषित किया जाकर विभाजन किए जाने व प्रतिवादी/रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किए जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया । तद्पोरांत अधी0न्याया0 ने वादपत्र में समस्त साक्ष्य सबूत लेने के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2011 को वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 मोहन ने न्यायालय हाजा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसे स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधी0नया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अधी0न्याया0 ने प्रकरण पुनः दर्ज किया । तत्पश्चात् प्रकरण निरन्तर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की तलबी हेतु चलता रहा । तत्पश्चात् पेशी दिनांक 29.5.2015 को प्रकरण प्रशासन गांवों के संग लोक अदालत अभियान के तहत अटल सेवा केन्द्र रामपाली में दिनांक 17.6.2015 को उपस्थित होने हेतु पेशी नियत की गई । उक्त पेशी को वादीगण पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित एव व प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्वंय भी उपस्थित हुए जिसमें वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित स्थिति अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की गई जिस पर प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 17.6.2015 द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति लिखते हुए एवं वाद वादी स्वीकारोक्ति बाबत् कथन कर मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से को बेचान नहीं किए जाने हेतु पाबंद किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश पारित कर दिया एवं वादीगण/अपीलांटस के धारा 53 व 88 राज0काश्त0अधि0 बाबत् कोई कथन वर्णित नहीं किए। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से अपने हक व अधिकारों की घोषणा व बंटवारे बाबत् मुख्य अनुतोष चाहा था तथा अधी0न्याया0 के समक्ष भी उक्त अनुतोष बाबत् निवेदन किया गया किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त अनुतोष बाबत् प्रतिवादीगण की सहमति उपरांत भी कोई कथन नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है जो

विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा धारा 53, 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था । उक्त अनुतोष बाबत् कोई आदेश नहीं दिये जाने से प्रथम दृष्टया ही वादीगण का वाद निरर्थक हो गया । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने बाबत् कोई औचित्य शेष ही नहीं रहा । विवादित आराजियात पैतृक भूमि है तथा उक्त आराजी में अपीलांटस के कानूनन हक एवं अधिकार निहित होने से वे बंटवारा करवाने के विधिक अधिकारी है । अधी0न्याया0 का दायित्व था कि वह प्रश्नगत भूमि में अपीलांटस का हक व हिस्सा बाबत् घोषणा कर प्रश्नगत भूमि का बंटवारा कराने बाबत् आदेश पारित करते । अधी0न्याया0 ने उक्त विधिक दायितव के परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रश्नगत भूमि मे वादीगण/अपीलांटस को वादपत्र में वर्णितानुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व उक्त हिस्सेनुसार प्रश्नगत भूमि का बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 4 व 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि में पिता के जीवित रहते पुत्र एवं पत्नि विभाजन एवं खातेदारी उद्घोषणा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके 1/3 हिस्से का बैचान नहीं करने हेतु पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात ग्राम चण्डाली के खाता संख्या नया 170 पुराना 161 खसरा नंबर 359 रकबा 3–13–00 एवं खसरा नबर 276/9 रकबा 5–00–00 में वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा होने तथा ग्राम प्रतापपुरा के खाता संख्या नया 83 पुराना 78 के खसरा नंबर 67 रकबा 10–4–00 एवं खसरा नंबर 191 रकबा 2–12–00, खसरा नंबर 194 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 195 रकबा 7–6–00 खसरा नंबर 25 रकबा 2–11–00 में पूरे में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से में वादीगण का 1/9, 1/9 हिस्सा होने का कथन कर उपरोक्त आराजियात पैतृक होने के आधार पर घोषणा, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 17.6.2015 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे आराजी वाद वर्णित का बैचान नहीं करे, हस्तातंरण नहीं करे । वादीगण के वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा के साथ खातेदार उद्घोषणा एवं बंटवारे हेतु भी वादपत्र में अनुतोष चाहा था किन्तु अधी0न्याया0 ने खातेदारी उद्घोषणा एवं बंटवारे के संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन एवं निष्कर्ष अंकित नहीं कर केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष घोषणा एवं बंटवारे का वाद भी प्रस्तुत किया गया था । अधी0नया0 को अपने निर्णय में घोषणा एवं बंटवारे के संबंध में भी स्पष्ट विवेचन एवं निष्कर्ष अंकित कर वाद में चाहे गये अनुतोष के कम में निर्णय पारित करना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने घोषणा एवं बंटवारे के संबंध में निर्णय में कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा

पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर